

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची - 834001
विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति
की अंतिम तिथि-08.04.2018

विज्ञापन संख्या-03/2018

**झारखण्ड अभियोजन सेवान्तर्गत सहायक लोक अभियोजक के पद पर सीधी
भर्ती नियुक्ति परीक्षा**

झारखण्ड राज्य के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक-5018 दिनांक-24.08.17 द्वारा झारखण्ड अभियोजन सेवान्तर्गत सहायक लोक अभियोजक के पद पर **सीधी भर्ती** के निम्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में Online आवेदन (आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध) आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. (क) (i) पद का नाम- सहायक लोक अभियोजक

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	Vertical Reservation	Horizontal Reservation against total vacancy				
		No. of vacancies	Wommen	Sports	Handicapped		
					Blind	Deaf & Dumb	Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Unreserved	73	—	03	02	02	01
ii	SC	16	01				
iii	ST	42	02				
iv	BC-I	07	—				
v	BC-II	05	—				
Total of (i) to (v)		143	03	03	02	02	01

नोट :- क) कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार संकल्प संख्या-5555 दिनांक-28.06.2016 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए चिह्नित पदों में से 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण आदिम जनजाति के लिए देय होगा। ये आदिम जनजातियों के पद वैसे अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे जो न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करेंगे। मेधा सूची में यदि अनुमान्य आदिम जनजाति के सदस्य स्वतः आ जाते हैं तो आदिम जनजाति के लिए अलग से अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जायेगा किन्तु यदि आदिम जनजाति के सदस्य अनुसूचित जनजाति की मेधा सूची में नहीं आते हैं तो इन्हें क्रमानुसार 02 प्रतिशत पद उपलब्ध करा दिये जायेंगे। अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में ये पद रिक्त नहीं रहेंगे अपितु अनुसूचित जनजाति के अन्य योग्य उम्मीदवार से भरे जायेंगे अर्थात् बैकलॉग नहीं होगा।

2. वेतनमान — Pay Matrix Level 8 (As per 7th PC)
3. पद — स्थायी
4. परीक्ष्यमान अवधि — 2 (दो) वर्ष
5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता :— नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक की वह डिग्री होगी, जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंधन हेतु अनिवार्य है।
6. अतिरिक्त योग्यता:— कम्प्यूटर संचालन का प्रमाण पत्र
7. उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :— 01.08.2017
 - (क) न्यूनतम उम्र सीमा — 21 वर्ष।
 - (ख) अधिकतम उम्र सीमा — कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-609 दिनांक-25.01.2016 के अनुसार सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1.	अनारक्षित	35 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष

- (ग) झारखण्ड राज्य की अनारक्षित श्रेणी के महिलाओं को अधिकतम उम्र सीमा (35 एवं 38 वर्ष के बीच) का लाभ प्राप्त करने हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 4650 दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र (आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध) में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का विवरण ऑनलाईन आवेदन में भरना अनिवार्य होगा तथा स्वअभिप्रेमाणित प्रति कंडिका-13(थ) में दिए गए निदेशानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।
- (घ) झारखण्ड राज्य से बाहर अन्य किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश की अनारक्षित श्रेणी के महिलाओं को अधिकतम उम्र सीमा (35 एवं 38 वर्ष के बीच) का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के निर्णय से प्रभावित होगा।
- (ङ.) निःशक्तजन को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट देय होगी।
- (च) निःशक्तजन के आरक्षण के लिए निःशक्तता की मात्रा :— केवल ऐसे अभ्यर्थी आरक्षण के पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो तथा उसे विहित चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। निःशक्तता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। विहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर विज्ञापन के साथ उपलब्ध है। निःशक्तता के आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-5671 दिनांक-04.07.2016 के अनुरूप होगा।
- (छ) भूतपूर्व सैनिकों (Ex- Service men) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।
- (ज) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक-360 दिनांक-21.01.2003 के अनुसार झारखण्ड राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने लगातार तीन वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो उन्हें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट देय है।

8. नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया :- सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी एवं यह परीक्षा द्वि-स्तरीय होगी-

(A) – प्रारंभिक परीक्षा (B) – मुख्य परीक्षा

(A) – प्रारंभिक परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा में दो पत्र होंगे। प्रथम पत्र 100 अंकों का जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। द्वितीय पत्र 200 अंकों का विधि विषयक होगा। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, जिसके आधार पर उक्त वर्ष में उपलब्ध/प्रतिवेदित कुल रिक्तियों के तेरह गुणा (1:13) अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किये जायेंगे।

क्र०सं०	पत्र	विषय	कुल अंक	समय	स्तर
01	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100	2 घंटा	सामान्य
02	द्वितीय पत्र	विधि विषयक	200	2 घंटा	विधि स्नातक

प्रारंभिक परीक्षा के लिए सन्दर्भित विषय:

प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटना-क्रम, भारत के इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जायेंगे। साथ ही झारखण्ड राज्य के आधुनिक ऐतिहासिक तथ्य, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जायेंगे। द्वितीय पत्र में साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया विधि, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(B) – मुख्य परीक्षा

(i) मुख्य परीक्षा में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित निम्न 09 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक भाषा की 100 अंकों की परीक्षा होगी-

(क) संताली भाषा और साहित्य (ख) मुण्डारी भाषा और साहित्य (ग) खड़िया भाषा और साहित्य (घ) हो भाषा और साहित्य (ङ.) कुड़ुख भाषा और साहित्य (च) नागपुरी भाषा और साहित्य (छ) कुरमाली भाषा और साहित्य (ज) खोरठा भाषा और साहित्य (झ) पंचपरगनिया भाषा और साहित्य

इस पत्र का अंक मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा परन्तु इसके लिए निम्न न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा:-

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

(ii) मुख्य परीक्षा के तहत लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) होगी। लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी, निबन्ध, सामान्य अध्ययन एवं विधि से संबंधित विषय होंगे। इन विषयों का स्वरूप, अंक, स्तर निम्न प्रकार से होगा-

क्र०सं०	पत्र	विषय	कुल अंक	समय	स्तर
1	प्रथम पत्र	सामान्य हिन्दी	100	3 घंटा	प्रवेशिका
2	द्वितीय पत्र	अंग्रेजी	100	3 घंटा	प्रवेशिका
3	तृतीय पत्र	निबन्ध	100	3 घंटा	प्रवेशिका
4	चतुर्थ पत्र	सामान्य अध्ययन	100	3 घंटा	सामान्य
विधि विषय					
5	पंचम पत्र	साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया	200	3 घंटा	विधि स्नातक
6	षष्ठम पत्र	भारतीय दंड संहिता	200	3 घंटा	विधि स्नातक
7	सप्तम पत्र	भारतीय संवैधानिक विधि	200	3 घंटा	विधि स्नातक
8	अष्टम पत्र	आपराधिक माइनर एक्ट	200	3 घंटा	विधि स्नातक
9	साक्षात्कार		50 अंक		सामान्य

9. लिखित परीक्षा से संबंधित विषयक विवरण:-

1. सामान्य हिन्दी तथा अंग्रेजी विषयों में प्राप्त अंकों को मेधा सूची तैयार करने में नहीं जोड़ा जायेगा लेकिन जो उम्मीदवार सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी पत्र में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे वे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं समझे जाएंगे।
2. विधि विषयों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक (Minimum Qualifying Marks) सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (BC-II) के लिए 36.5 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग (BC-I) के लिए 34 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जन जाति एवं महिला वर्ग के लिए 32 प्रतिशत होगा।
3. मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य हिन्दी एवं द्वितीय पत्र अंग्रेजी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। इसमें 20 अंकों का निबंध, 20 अंकों का पत्र लेखन (सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी) 25 अंकों का व्याकरण, 15 अंकों का वाक्य-विन्यास एवं 20 अंकों के संक्षेपण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
4. मुख्य परीक्षा के तृतीय पत्र निबन्ध में कुल '2' (दो) खण्ड होंगे जिसमें एक खण्ड विधि विषय एवं दूसरा खंड सामान्य निबन्ध पर आधारित होगा। प्रत्येक खण्ड के वैकल्पिक विषयों में से किसी एक पर निबन्ध लिखना होगा। प्रत्येक निबन्ध 50-50 अंकों का होगा।
5. मुख्य परीक्षा के चतुर्थ पत्र सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटना क्रम से 10 अंकों का, भारत का आधुनिक इतिहास से 10 अंकों का, भूगोल से 10 अंकों का, भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 अंकों का, सामान्य विज्ञान से 10 अंकों का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से 10 अंकों के एवं विधि शब्दावली (व्याख्या सहित) से संबंधित 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही झारखण्ड के आधुनिक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं संस्कृति से संबंधित 15 अंकों के प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

6. विधि विषयक:

- (i) पंचम पत्र में अपराध प्रक्रिया संहिता से 125 अंकों का तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 75 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा।
- (ii) षष्ठम पत्र में भारतीय दंड संहिता से 200 अंकों (समस्या सहित) के प्रश्न पूछे जाएंगे।
- (iii) सप्तम पत्र में भारतीय संवैधानिक विधि से 200 अंकों का प्रश्न पूछा जायगा।
- (iv) अष्टम पत्र (अपराधिक माइनर एक्ट से) में खण्ड 'क' से 80 अंक खण्ड 'ख' से 60 अंक तथा खण्ड 'ग' से 60 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। अपराधिक माइनर एक्ट में निम्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे-

80 Marks Group A	60 Marks Group B	60 Marks Group C
(1) Forest Act 1927	(1) Electricity Act 2003	(1) Essential Commodities Act 1955
(2) Arms Act 1959 Explosive Substance act 1908	(2) Information Technology Act 2000	(2) Dowry Prohibition Act 1961
(3) Criminal Law Amendment Act 1908 and Unlawful Activities (Prevention) Act. 1967	(3) Prevention of corruption Act 1988 and Bihar/Jharkhand Prevention of specified corruption Act 1983	(3) Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act 1989
(4) Motor Vehicle Act 1988	(4) Prevention of Food Adulteration Act 1954	(4) Juvenile Justice Act 2000 (Care and protection of Children) Act 2000
(5) Prevention of witch (Dain) Practices Act- 1999	-	-

7. सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे (सामान्य हिन्दी तथा अंग्रेजी को छोड़कर) तथा अभ्यर्थियों को किसी एक भाषा में प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प होगा। प्रथम पत्र सामान्य हिन्दी देवनागरी लिपि में एवं द्वितीय पत्र अंग्रेजी विषय रोमन लिपि में लिखना अनिवार्य होगा। शेष पत्रों के लिए देवनागरी अथवा रोमन लिपि का विकल्प होगा।
8. अभ्यर्थियों को प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के सभी विषयों एवं पत्रों में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की संबंधित परीक्षाओं के विरुद्ध मेधा सूची प्रकाशित नहीं की जा सकेगी।
9. लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए कुल रिक्त के विरुद्ध तीन गुणा (1:3) अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
10. इस प्रकार मुख्य परीक्षा अर्थात् लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेधा सूची के अनुसार कोटिवार प्रतिवेदित रिक्त पदों के विरुद्ध परिणाम घोषित किये जायेंगे। जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान हों तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार कम उम्र वाले उम्मीदवार से वरीय होंगे।

10. आरक्षण का लाभ :-

- (क) ऑनलाइन (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को (राज्य सरकार के पत्रांक- 6763 दिनांक- 05.08.2016 के अनुसार) झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (ग) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि तथा प्राधिकार का विवरण ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अनारक्षित कोटि के लिए अनुमान्य होगी।
- (घ) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी अनारक्षित कोटि के लिए अनुमान्य होगी। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.ipsc.gov.in पर उपलब्ध है। निर्धारित विहित प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ङ) संबंधित जाति प्रमाणपत्र की स्पष्ट एवं पठनीय स्वहस्ताक्षरित प्रति अन्य वांछित प्रमाणपत्रों के साथ विज्ञापन की कण्डिका 13(थ) के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।
- (च) आरक्षण से संबंधित कण्डिकाओं में दिए गए अनुदेशों का अक्षरशः पालन नहीं किए जाने पर उम्मीदवारी अनारक्षित कोटि हेतु मानी जाएगी।
- (छ) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन में दिए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- (ज) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

(I) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति :-

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-5682 दिनांक 22.10.2008 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-I में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :-

झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-10007 दिनांक 29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-II (ननक्रीमीलेयर सहित) में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत वैध (Valid) एवं अद्यतन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

- (झ) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी -II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

प्रतियोगिता का स्तर	उपलिब्ध
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

11. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- Impersonating, or
- Procuring impersonation by any person, or
- Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- Using unfair means during the test, or
- Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. परीक्षा शुल्क:-

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ii) अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क **रु0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।
- (iii) **परीक्षा शुल्क में छूट-** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क **रु0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**
- (iv) निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

13. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (क) Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है, परंतु कंडिका-13(थ) में निहित निदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित **Hard Copy** निर्धारित तिथि तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- (ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ग) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (घ) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व **"How to apply"** (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के **Help Line No. — 0651/2213009** पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ङ) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के **Help Line No.** पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :-
- (च) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए **Payment Helpline No.— 0651/2213009** संपर्क किया जा सकता है।
- (छ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।

- (ज) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (झ) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (ञ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।
- (ट) जन्म तिथि— आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें
- (ठ) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, विधि स्नातक अंक एवं प्रमाण पत्र, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, झारखण्ड राज्य के अनारक्षित श्रेणी की महिला अभ्यर्थी (35 से 38 वर्ष के बीच) हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, खेलकूद प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो) ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (ड) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ढ) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ण) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (त) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (थ) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति Hard Copy आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे:-
- जन्म तिथि के लिए मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र,
 - विधि स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंधन हेतु अनिवार्य है।
 - जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
 - झारखण्ड राज्य की अनारक्षित श्रेणी की महिला उम्मीदवार (35 से 38 वर्ष के बीच) हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
 - मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
 - अनापत्ति प्रमाण पत्र (झारखण्ड सरकार के स्थायी सेवकों को उम्र सीमा में छूट हेतु)
 - विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट हेतु) तथा
 - भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (उम्र सीमा में छूट हेतु)
 - खेलकूद प्रमाण पत्र (खेलकूद कोटा में दावे के समर्थन में)
 - उक्त प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में दिनांक-20.04.2018 तक अनिवार्य रूप से "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001" के पते पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या-03/2018 तथा परीक्षा का नाम यथा- "सहायक लोक अभियोजक सीधी नियुक्ति परीक्षा" मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

14. अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक 23.02.2018 से 08.04.2018 रात 11:45 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं
- (ख) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र Online Application System के माध्यम से दिनांक-08.04.2018 रात्रि 11.45 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (ग) उक्त कंडिका-13 (थ) के अनुसार Online आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय में स्पीड-पोस्ट/निबंधित डाक/या हाथोंहाथ आयोग कार्यालय में प्राप्ति की अंतिम तिथि-20.04.2018 होगी।
- (घ) दिनांक-08.04.2018 के बाद दिनांक-11.04.2018 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (ङ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/-

सचिव

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।